

अति तत्काल  
आर टी आई मामला

सं. 14036/357/2013-यू टी पी  
भारत सरकार  
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक 14 मई, 2013

सेवा में


श्री अनिल कुमार,  
उप महाप्रबंधक (इंटरनेट),  
चौथी मंजिल, किदवई भवन,  
जनपथ, नई दिल्ली-110001

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 20.04.2013 का आवेदन।  
महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 6.5.2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपने अपने आर टी आई आवेदन में कोई सूचना नहीं मांगी है। इसलिए, सूचना 'शून्य' है।
3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।


भवदीया,

  
(एस.सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव (डी पी-11)

दूरभाष: 23092856


AC

  
23/5

सेवा में

2763/271/2013  
01.05.13

सी० पी० आर० आ०  
गृह मंत्रालय  
नैतिक बलक, भारत सरकार  
नई दिल्ली - 110001



विषय - दिल्ली पुलिस के कार्प और कंपनहार के सम्बन्ध में।

सर मैं दिल्ली का एक नगरिक शहर हूँ। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस का काम करने का तरीका बहुत गलत है जो आम पब्लिक से डोपवहार करते हैं और स्कूल आम रिश्तत लेते हैं चाहे जो इतिक पुलिस हो या फिर नवी धारा पुलिस वाले सभी कर्रेशन में डूबे हुए हैं।

Q1 दिल्ली पुलिस के डोपवहार और रिश्तत के तहत और महिलाओं की सुरक्षा के कारण काम करने के तरीके पर मैं में आवाज उठा रहा हूँ कि दिल्ली में महिलाएं और आम पित्त कितना सुरक्षित है हेल्पा इसके तहत सरका कामवादा कि जायी और इतका जवाब दिया जाये

धन्यवाद

IP No - 11F 024 39

USC (11)

आपका धारा  
Anil Kumar  
(आनिल कुमार)  
मो० 9582217555  
पता % अप गृहा प्रबु रस (अपनर)  
प भाजल, कुरुवडू प्रान  
जनपत, नई दिल्ली - 110001